भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2780
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

राजस्थान के सीकर में गैस पाइपलाइन

2780. श्री अमरा राम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को उनकी भूमि के उपयोग हेतु मुआवजा देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) किसानों को दिए गए मुआवजे की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार की निजी निर्माण गतिविधियों को करने के लिए गैस पाइपलाइन के दोनों और कितनी जगह छोड़ी जानी है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआईजीएल) को मेहसाना भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की मुख्य लाइन बिछाने के लिए अधिकृत किया है। यह पाइपलाइन सीकर जिले से होकर गुजरेगी और इसकी लंबाई लगभग 69 किलोमीटर होगी।

(ख): पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम 1962 (पी एंड एमपी अधिनियम, 1962) के तहत, जिस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति को किसी भी नुकसान, हानि या चोट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। इस निर्धारण में फसलों, पेड़ों और फलों आदि की उपज की जांच करना, फसल, लकड़ी, लकड़ी, फलों आदि के बाजार मूल्य की मांग करना और निर्दिष्ट एजेंसी से अन्य नुकसानों का आकलन करवाना शामिल है। इसके अलावा, अधिनियम में उस व्यक्ति को भूमि के बाजार मूल्य के 10% के हिसाब से मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है, जिसका किसी भी तरह से किसी भी भूमि पर उपयोग का अधिकार प्रभावित हुआ है।

(ग): जीआईजीएल ने राजस्थान के सीकर जिले के 40 गांवों के लगभग 4150 भूमि मालिकों को आगे वितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी, राजस्थान के बैंक खाते में लगभग 2.61 करोड़ रुपये मुआवजा राशि जमा कर दी है।

(घ): जीआईजीएल ने 30 मीटर चौड़ा आरओयू का अधिग्रहण किया जिसमें पाइपलाइन बिछाई गई है। पीएंडएमपी अधिनियम 1962 की धारा 9 (भूमि के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध) के प्रावधान के अनुसार 30 मीटर आरओयू की लाइन के भीतर कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

****